Manipur have submitted, through their Unions, memorandum to the Postmaster General and the Director of Assam Postal Services, Assam Circle when they last visited Imphal and later on sent memorandum to the latter for grant of a number of allowance including hill and winter allowances, *ad-hoc* allowance as are admissible to the Manipur Government employees;

(b) if so, the steps taken by the postal authorities of Assam Circle; and

(d) whether his Ministry is consulted on the grievances of the postal employees of Manipur for necessary sanction of the allowances aforesaid?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH): (a) Yes.

(b) and (c). The demands made by the Unions were received by this Ministry and considered in consultation with the Ministry of Finance. Finance Ministry did not agree to sanction the hill, winter and house rent allowances now paid on a prescribed scale for Central Govt. servants on the same basis as admissible to Manipur Government employees.

Posting of Employees of Field Publicity Section

5720. SHRI M. MEGHACHANDRA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether any rule has been framed and is enforced that employes in the Field Publicity Section are to be posted to places other than their usual place of residence and they are not to be transferred to their usual place of residence;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) if the reply to part (a) above be in negative the rule relating to transfer for employees in Field Publicity Section?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL): (a) and (b). There is no rule on the subject. As a matter of policy, Field Publicity Officers and Field Publicity Assistants are usually not posted to their places of permanent residence. This policy has been evolved so as to maintain objectivity of the officers concerned in the discharge of their duties.

(c) Does not arise.

Allotment of Land to Elangkhangpokpi Farming Society of Manipur

5721. SHRI M. MEGHACHANDRA: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether 1620 acres of land were being allotted to Elangkhangpokpi Farming Society of Manipur by the Manipur Administration;

(b) whether the members of the Society are landless or poor peasants;

(c) if so, the reasons for the Manipur Administration imposing premium for the land so allotted; and

(d) whether the Manipur Administration is considering to allot the land without asking for premium?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) Yes, Sir.

(b) to (d). The members of the Society are landless persons. The competent officer, under the provision of Manipur Land Revenue and Land Reforms Act, 960, has imposed a premium for the land. The Manipur Administration has not intimated any proposal to allot the land without a premum.

मध्य प्रदेश को कृषि औद्योगिक निगम की स्थापना के लिये केन्द्रीय सहायता

5722. श्री गं० च० दीक्षित: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में एक कृषि औद्योगिक निगम स्थापित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या सहायता दी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) और (ख). संभवत: आदरणीय सदस्य मध्य प्रदेश राजकीय कृषि-उद्योग विकास निगम की ओर संकेत कर रहे हैं । यह निगम 250.00 लाख रुपये की अधिकृत पूंजी से 21-3-1969 को स्थापित किया गया था । राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार 50:50 के अनुपात में संयुक्त अंशधारी हैं । वर्तमान में निगम की प्रदत पूंजी 60.00 लाख रुपये है ।

केन्द्रीय सरकार में पंजीकृत मध्य प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिकाओं की बिक्री

5723. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की कितनी साप्ताहिक पत्रिकाएं केन्द्रीय सरकार में पंजीकृत हैं ;

(ख) उपर्युक्त पत्रिकाओं की बिक्री कितनी है ;

(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त साप्ताहिक पत्रिकाओं के बिक्री सम्बन्धी आंकड़ों की कभी कोई जांच की है ; और

(घ) यदि, नहीं तो इसके क्या कारण हैं और उनको अखबारी कागज का कितना कोटा दिया जाता है और उसके लिये कितनी राशि प्राप्त की जाती है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) एक सौ चौंतीस ।

(ख) भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार को वर्ष 1968 में सर्कुलेशन के बारे में सूचना इनमें से केवल 78 साप्ताहिकों से ही प्राप्त हुई है । इसका ब्यौरा विवरण में दिया हुआ है जो सभा पटल पर रखा गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या** LT–3140/70]

(ग) समाचारपत्रों के सर्कुलेशन संख्या के दावों की जांच भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा एक क्रमबद्ध कार्यक्रम के अनुसार की जाती है । मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाले 13 साप्ताहिकों के दावों की 1966 में तथा 4 साप्ताहिकों के दावों की 1968 में जाँच की गई थी ।

(घ) मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाले 16 साप्ताहिकों से अखबारी कागज के लिए प्रार्थना-पत्र मिले थे । प्रत्यक को दी गई अखबारी कागज की मात्रा सभा पटल पर रख गये विवरण में दी हुई है । [**ग्रंथालय में रखी दिया गया । देखिये संख्या** LT-3140/70] 1969-70 के लिए आयातित अखबारी कागज का करार के अनुसार मूल्य 1190/- रुपये प्रति मीटरी टन था ।

मध्य प्रदेश में कंपनियों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान

5724. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में उन कम्पनियों के नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपने श्रमिको तथा कर्मचारियों की भविष्य निधी में अपना अंश नहीं दिया है ;

(ख) इनमें से प्रत्येक कम्पनी द्वारा इस संबंध में अभी भी कितनी राशि का अंशदान किया जाना बाकी है; और

(ग) अपना अंशदान न देने के लिये उनके विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी०संजीवैया) : (क) से (ग) : कर्मचारी भविष्य निधी के प्रशासन का संबंध कर्मचारी भविष्य निधी अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है जो एक स्वायत्त संघ है और भारत सरकार से इसका सीधा संबंध नहीं है । एक विवरण, जिसमें भविष्य निधि प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश के उन छूट-न-प्राप्त प्रतिष्ठानों के नाम, जिन पर 31-1-1970 को एक लाख रुपये से अधिक की राशि बकाया है,